U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj

v/;{krk % yfyr dekj xIrk] vkbZ-,-,l-

lpuk dk vf/kdkj iFke vihy l[;k %& 04@2018

vihykUV	cuke	jLikMUV
रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल आदिया बेरा वार्ड नं. 26 बालोतरा, जिला बाडमेर।		अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
विरुद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,(लोक सूचना अधिकारी)

%% vkns'k%%

दिनांकः 4.12.2018

अपीलान्ट द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2018 प्रस्तुत कर रास्ते की भूमि पर जारी गलत पट्टे के संबंध मे कार्यालय हाजा मे प्रेषित पत्र दिनांक 27.6.2018 के संबंध मे की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी। निर्धारित अवधि 30 दिन मे सूचना प्राप्त नही होने पर अपीलान्ट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी ने प्रस्तुत अपील पर अपनी टिप्पणी मे अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ./एडीसीफ/43/2018/823 दिनांक 28.9.2018 के द्वारा सूचित किया गया कि आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.6.2018 को मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, बाडमेर को भिजवाया जा चुका है, जिसकी कार्यालय प्रति तैयार कर ली गई है, जो कुल 01 पृष्ठ है। आप नियमानुसार प्रतिलिपी शुल्क प्रति पेज 2 रूप्ये जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार

आवेदक को इस कार्यालय स्तर से निर्धारित समय अवधि मे सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा अपील मे प्रकट तथ्यों एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर ने प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तैयार कर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि मे सूचित कर दिया गया था। इय व्रकसा अवीलसप्ट की अपील मे अंकित तथ्य आधाहीन होने से खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर द्वारा की गयी कार्यवाही को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावे।

¼yfyr d|ekj x|Irk½
fMohtkuy dfe'uj] tks/kiqj

1. प्रतिलिपि– श्री रमेश कुमार पुत्र चम्पालाल, निवासी आदिया बेरा, बालोतरा, जिला बाडमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

fMohtkuy dfe'uj] tks/kiqj